

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

का0आ0 22(अ).- अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (XIV) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार, जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं; साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध, है, वे लिखित रूप में, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते पर : esz-mef@nic.in भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पुलीकट झील आंध्र प्रदेश और तिमलनाडु में फैली हुई भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की समुद्रताल/तट मग्न भूमि है जिसमें शीतऋतु के प्रवासी पक्षी आते हैं और यह विभिन्न जलचर और स्थलचर पिक्षयों जैसे बृहद और लघु हंसावरों, जांघिलों, बड़े और करिछया बगुलों, भूरे हवासिलों, भूरे बगुलों और जल पिक्षयों जैसे उत्तरी सीखपर, श्यामपंखी बड़ा पनेवा, उत्तरी तिदारियों, सामान्य चैती, सामुद्रिक, कुरकी, टिटिहरी, बटान, टिकरी, गुलिंदा आदि के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्थल है, और शीत के दौरान आने वाले प्रवासी पिक्षयों की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि झील भोजन और परमक्षियों से सुरक्षा प्रदान करती है।

और, अभ्यारण्य जिला नैल्लोर के पांच मंडलों ताडा, सुल्लुरपेट, डोरावेरीसतरम, चित्तामूर, और वाकाडु को आच्छादित करते हुए लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ;

और, अभ्यारण्य क्षेत्र में श्रीहरिकोटा द्वीप पर कच्छ वनस्पति, तटीय वनस्पति और बैंतझाड़ी से विकीर्णित दक्षिणी उष्णकटिबन्धी शुष्क सदाबहार वनों के अवशेषों के अतिमहत्वपूर्ण खंड हैं जो अत्यंत वानस्पतिक महत्व का है ; 34 GI/2014 और इस अभ्यारण्य में प्राणी जात के मुख्य प्रवर्ग हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ जिसके अंतर्गत अकशेरुिकयों में झींगा, समुद्री झींगा, केकड़ा, प्राणीप्लवक, सीलन्टरेट, एनेलिड, मोलस्क और शूलचर्मी; मत्स्य में श्यामक मत्स्य, सार्जिन मत्स्य, श्वेत, श्याम और रजत प्रोमफेट (पुलीकट झील में मत्स्य की 168 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं); सरीसृपों में तुक्विल छिपकली, शिरस्त्राण, नाग, रसल घोषारु और करैत, स्तनधारियों में वनशूकर, जंगली बिल्ली और सियार तथा पक्षी वर्ग में मुख्य पक्षी प्रजाति जो पुलीकट झील में आती है वह बृहद हंसावर (प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 हंसावर पुलीकट में आते हैं) और ऐसे अन्य भरण प्रवासी पक्षी जैसे पैलीकन, जांधिल, विवृत चंचु वलांक, धूसर बगुले, जलकॉक, श्वेत बुज्जा, दाबिल, बगुला, जलशैल बगुले, चकत्ता चंचु बतख, उत्तरी तिदारी, उत्तरी सीखपर, बलुई पाईपर्स, सामुद्रिक और नदी कुरकी भी हैं;

और, बृहद हंसावर (फोनिकोप्टेश्स रोजस) पांच फुट लंबा पतला पक्षी है जिसकी श्वेत पाक्षित हल्के गुलाबी, चमकदार मूंगिया लाल बाह्य पंख देहपक्ष, श्याम पिच्छ और काली नोंक वाली गुलाबी चौंच जो उथले दलदली जल में रहता हैं और निरयन्दक संभरक है तथा भोजन करते समय यह अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिलाता है और चौंच जल के भीतर होती है तथा टांगों का लयबद्ध संचालन करता है और छोटे क्रश्टेसियन तथा शैवॉल को बाहर निकाल देता है तथा प्रजनन स्थल कच्छ के रण से आते हुए अक्तूबर के दौरान पुलीकट में आता है और अप्रैल के दौरान वापस लौटता है और इसे एक संकटायन्न प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है;

और, पारस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है :

और, अतः, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य के सभी ओर उत्तर से दक्षिण दो किलोमीटर के क्षेत्र को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिस्वित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं, अर्थात:--

- 1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं (1) आंध्रप्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभ्यारण का पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर से दक्षिण तक दो किलोमीटर तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार है ।
- (2) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं का विस्तृत वर्णन इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची 1 के रूप में दी गई है।
- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध 2 में भी दिए गए है ;
- (4) पुलीकट पक्षी अभ्यारण की सीमा से बाहर और पुलीकट पक्षी अभ्यारण सवेदी जोन के भीतर आने वाले तेईस ग्रामों की सूची उनके अक्षांश और देशांतर के साथ प्रमुख बिंदुओं पर इस अधिसूचना में अनुसूची 3 के रूप में उपाबंध है ।

परंतु अनुसूची 3 में दी गई ग्रामों की सूची आंचलिक महायोजना तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा और पुनरीक्षित और पुष्टि करेगी ।

- 2. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और जो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार विचार और अनुमोदन के लिए भेजेगी।
- (2) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य सरकार के विभागों जैसे पर्यावरण, वन और वन्य जीव, कृषि, सड़क और भवन राजस्व, शहरी विकास, पर्यटन, ग्रामीण विकास, नगरपालिक, पंचायत राज, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग, अंतर्विलत करके तैयार होगी जिससे उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातें समाविष्ट हो जाएं ।
- (3) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जलसंभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए प्रबंधन होंगे।
- (4) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित नगरी बंदोबस्तों, ग्राम बंदोबस्तों, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित उद्यान क्षेत्र और खुले स्थानों, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों को अभ्यकन करेगी ।
- (5) राज्यस्तरीय पारिस्थितिकीय संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.पा.जो.मा.से. कहा गया है) इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन, पैरा 4 में निर्दिष्ट अपने कृत्यों को कार्यान्वित करेगी ।
- (6) आंचलिक महायोजना पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों का विनियमन करने के लिए उपाय और अनुबंध अधिकथित करेंगी ।

(7) पारिस्थिकीय संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र, उद्यानों और आमोद-प्रमोद प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का उपयोग का परिवर्तन संबंधित वाणिज्यिक या औद्योगिक से संबंधित कार्य कलापों के लिए नहीं होगा:

परंतु, पारिस्थिकीय संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का परिवर्तन पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्षा जल संचयन से संबंधित मद संख्या 18 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों के साथ विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थानीय निवासियों की आवसीय आवश्यकताओं की केवल पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य रा.पा.सं.जो.मां.स. की सिफारिश पर अनुज्ञात होगा :

परंतु यह और कि जनजाति उपयोग की भूमि का गैर जनजातीय उपयोग में कोई परिवर्तन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और तत्समय प्रवृत्त विधिक उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य भी है के अनुपालन के बिना नहीं होगा ।

- (8) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए ऐसे अन्य उपाय, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी जो वह उचित समझे ।
- (9) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--
 - (i) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थिति सभी नये तटीय पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिकीय विकास और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार को महत्व देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;
 - (ii) आंचलिक महायोजना के अनुमोदित किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकर्तींपों के विस्तार को रा.पा.सं.जो.मा.स. की वास्तविक स्थल की विनिर्दिष्ट संवीक्षा और सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;
 - (iii) पर्यटन क्रियाकलाप भी आंचलिक महायोजना के भाग होंगे ।

i. (* 1.)

- (10) आंध्र प्रदेश का पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार ध्विन प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकरण होगा ।
- (11) आंध्र प्रदेश का पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकरण होगा ।
- (12) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उपचारित बहिःस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।
- (13) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में, ठोस अपशिष्ट का निपटान
 - (क) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 का0आ0 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
 - (ख) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृकथन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (ग) जैव निम्नकरणीय सामग्री को अधिमानतः कंपोस्ट या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरण के स्वीकृत रीति में किया जाएगा I
- (14) परिवहन की यानीय गतिविधियां, प्राकृतिक निवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और आंचलिक महायोजना में इसके उपबंध निगमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के इस प्रकार तैयार किए जाने और उसका पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने तक रा.पा.जो.मा.से. प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय परिवहन को मानीटर करेगी।
- 3. पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां-पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में सभी गतिविधियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होगी और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार विनियमित होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं0	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञात	/ टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तटीय जल कृषि	हां	want		पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार की जल कृषि, या तो खारे पानी या स्वच्छ पानी में अनुज्ञात नहीं होगी।
2.	औद्योगिक इकाई	हां	_		i पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर नई लकड़ी पर आधारित कोई स्थापन नहीं होगा ।
					ii पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर कोई नया प्रदूषण करने वाला या उच्च प्रदूषण करने वाला स्थापन नहीं ।
3.	सन्निर्माण क्रियाकलाप	<u>-</u>	हां	-	i पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में पुलीकट पक्षी अभ्यारण की सीमा से 100 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार का कोई नया संनिर्माण कार्य, ट्यूबवेल चेम्बर के सिवाय जो अधिकतम 1000 घन इंच के माप का हो, अनुज्ञात नहीं होगा।
					(ii) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य को सीमा से 100 मीटर से 500 मीटर के बीच आने वाले जोन में, दो मंजिल (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
					(iii) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य को सीमा से पांच सौ मीटर तक नई शिरोपरि संचरण तार बिछाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
4.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनके तोड़ने की इकाइयां	हां			(क) सभी नए और विद्यमान खनन, पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध की जाती हैं।
5.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर कोई वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।
					(ख) संबद्ध केंद्रीय या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी।

		-	·			
6.		जल का निष्कर्षण	-	हां	-	i. भूखंड के अधिभोगी के वास्तविक
						कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण अनुज्ञात होगा ।
						ii. जल के संदूषण और प्रदूषण, जिसके
		•	,			अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए
7.		भूगर्भ जल का		हां .		सभी उपाय किए जाएंगे । समुचित प्राधिकारी की अनुमति से
		विक्रय	-	וס	-	सनुषित आविकारा का अनुमात स
8.		परंपरागत मछली			हां	राज्य विद्यमान विधि के अनुसार और
		पकड़ना				निर्वधन के साथ अनुज्ञात होगा
9.		वृहत्त पैमाना	हां			
		वाणिजियिक				
		क्रियाकलाप के रूप				
		में गैर-परंपरागत				
1		रीति से यात्रियों		1		
		द्वारा मछली पकड़ना				
10.	.	अनुपचारित बहिर्स्नाव	हां			
		का निस्सारण				
11.	.	उपचारित बहिर्स्राव	·	हां		जल (प्रदूषंण निवारण तथा नियंत्रण)
		का निरसारण		·		अधिनियम, 1974 के उपबंधों का पालन
						करना होगा ।
12.		ठोस अपशिष्ट		हां	,	का.आ. संख्यांक 908(अ), तारीख
1						25-09-2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिक
	Ì					ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के
						उपबंधों के अनुसार ले जाया जाएगा ।
13.		आरा मशीनों की	हां			
		रथापना				
14.	.	होटल और रिसोर्ट	-	हां		
		का स्थापन				
15.	. [जलावन लकड़ी का	हां		- .	होटल और अन्य व्यवसाय संबंधी स्थापनों
		वाणिज्यिक उपयोग		.,		के लिए
16.	.	बृहत्त जल विद्युत	हां			
		परियोजना का				
		स्थापन				
17.		बिजली के तारों का		हां		भूमिगत केनलिंग को बढ़ावा दिया जाए
		उत्पादन				
18.		वर्षा जल संचयन			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
19.		जैविक खेती			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
20.		अक्षय ऊर्जा स्रोत			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए
1	٠	का उपयोग		. *		
21.		सभी कार्यकलापों		_	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाना
	-	के लिए हरित				चाहिए ।
1		प्रौद्योगिकी को		İ		
		अंगीकार करना			•	
22.		पॉलीथीन बैगों का	हां	-	-	
		उपयोग				
23.		सड़कों को चौड़ा	-	हां	-	
	1	करना				
34 6	+ 11/a	L	L	L	L	

24.	रात में यानीय	<u> </u>	हां	T	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए
24.	1	, -	. 61		वाणाज्यक प्रवालन के लिए
	परिवहन का संचलन				J J
25.	विदेशी प्रजातियों	-	हा		
	को लाना				
26.	किन्हीं परिसंकटमय	हां	-	-	
1.00	पदार्थों का उपयोग	•			
	या उत्पादन				
27.	अभ्यारण के ऊपर	हां		-	
	वायुयान या गर्म				
	हवाँ के गुब्बारों से			·	
	उड़ान जैसे पर्यटन				
	कार्यकलाप				
28.	नदी के किनारों का	_	हां	-	
	संरक्षण				
29.	साइन बोर्ड और	_	हां	_	
	होर्डिंग				
30.	जैव कृषि के माध्यम	-		हां	·
	से स्थानीय समुदायों	•			
	द्वारा जारी कृषि और				
The second	उद्यान कृषि				
	पद्धतियां				

- 4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिकीय -संवेदनशील खंड मानीटरी समिति- (1) केन्द्रीय सरकार, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पारिस्थितिकीय संवेदी मानिटरी जोन (रा.पा.सं.जो.मां.स.) समिति नामक एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-
- (i) मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार-अध्यक्ष ;
- (ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर का प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि-सदस्य ;
- (iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि-सदस्य ;
- (v) समुदाय आधारित संगठनों का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि-सदस्य ;
- (vi) आंध्र प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, शहरी आवास और विकास, पर्यटन और पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग से पांच प्रतिनिधि-सदस्य :
- (vii) आंध्र प्रदेश राज्य की पारिस्थितिकी में विख्यात किसी संस्था या विश्वविद्यालय से एक विशेषज्ञ-सदस्य ;
- (viii) संबंधित जिला कलक्टर -सदस्य ;
- (ix) संबंधित वन्य-जीव वार्डन-सदस्य ; और
- (x) निदेशक, पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश राज्य-सदस्य सचिव ।
 - (2) पा.सं.जो.मा.सं. इस अधिसूचना के उपबंधों की अनुपालन को मानीटरी करेगी।
 - (3) कार्यकलाप, जो पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गितविधियों के सिवाय, जो भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में सम्मिलित हैं और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन खंड में आती हैं, की रा.पा.सं.जो.मां.स. द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और पर्यावरण और वन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट की जाएगी !

- (4) क्रियाकलाप जो, पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधयों के सिवाय, जो भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में सम्मिलित नहीं होते हैं किंतु पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आते हैं, रा.पा.सं.जो.मां.सं. द्वारा वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।
- (5) रा.पा.सं.जो.मा.स. का अध्यक्ष या सदस्य सचिव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, शिकायत फाइल करने में सक्षम होगा ।
- (6) रा.पा.सं.जो.मा.स. संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संगमों से प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को मुद्दे से मुद्दे के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए विचार-विमर्श के आधार पर उसकी सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकेंगी।
- (7) रा.पा.सं.जो.मां.सं. उसके कार्यकलापों पर की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 मार्च, को पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अपने कृत्यों के प्रभावी पालन के लिए रा.पा.सं.जो.मां.स. को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे ।

5. अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई है, के अधीन हैं ।

उपाबंध-1


पारिस्थिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमाओं का विस्तृत वर्णन

उत्तर : पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा वालामेंदु ग्राम के उत्तर से 1 कि.मी. दूरी से प्रारंभ होती है और 2 कि.मी. पूर्वी दिशा में आगे बढ़ती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है ।

पूर्व : पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य की सीमा बंगाल की खाड़ी की समुद्री रेखा के सभी ओर पूर्वी दिशा की तरफ पुलिंजरिकुण्पम ग्राम की उत्तरी दिशा में 750 मी. पर तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश की अंतरराज्यिक सीमा तक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा है।

दक्षिण : पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र रेखा पुलिंजिरकुप्पम ग्राम के उत्तरी ओर 750 मी. पर आंध्रप्रदेश और तिमलनाडु की अंतरराज्यिक सीमा पर प्रारभ होती है तथा दक्षिण की ओर तिमलनाडु राज्य की सीमा के साथ आगे बढ़ती है और तत्पश्चात् पश्चिमी ओर आगे बढ़ती है तथा उसके पश्चात् उत्तरी ओर आगे बढ़ती है और अरमबक्कम ग्राम के पश्चिमी ओर 200 मीटर पर समाप्ति होती है।

पश्चिम : पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र रेखा करुरु ग्राम के निकट रा.रा.5 के पश्चिमी ओर 200 मीटर की दूरी पर तिमलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्य की सीमा से प्रारंभ होती है जो स्टेशन सं. 1 है और रेखा 200 मीटर की दूरी पर रा.रा. 5 के पश्चिमी ओर के साथ आगे बढ़ती है तथा स्टेशन सं. 3 पर बटेम्बेडु ग्राम को छूती हुई उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा करीजथा ग्राम के स्टेशन सं. 4 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा पश्चिमी ओर आगे बढ़ती है तथा करीजथा ग्राम के स्टेशन सं. 4 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा पश्चिमी ओर आगे बढ़ती है तथा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा करीजथा ग्राम के स्टेशन सं. 5 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कोनपल्ली ग्राम में स्टेशन सं. 6 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है, तदुपिर रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और उसके पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तदपश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तदपश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर उसके पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और तदुपिर रेखा आगे बढ़ती हुई अरूर ग्राम के निकट स्टेशन सं. 11 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कोगिली ग्राम में स्टेशन सं. 12 को छूती है और तदुपिर रेखा कोक्कुपलेम ग्राम के निकट स्टेशन सं. 13 को छूती है, तदुपिर रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तहुपिर रेखा उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा अंदलमाला ग्राम के निकट स्टेशन सं. 15 पर छूती है, तदुपिर रेखा उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती है तथा वालामेदु ग्राम के निकट स्टेशन सं. 16 पर बंगाल की खाड़ी की समुद्र रेखा पर मिलती है, जो एक बंद स्टेशन है।



उपाबंध-3

मुख्य बिंदुओं पर अक्षाशों और देशांतरों के साथ पुलीकट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से बाहर आने वाले तथा पुलीकट वन्य जीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के भीतर आने वाले तेईस ग्रामों की सूची ।

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
ग्रा.1	भीमुनिवारी पलेम कुप्पम	13.5461200	80.0723000
ग्रा.2	भीमुनिवारी पलेम	13.5448200	80.0678900
ग्रा.3	पुडी	13.5606700	80.0545200
ग्रा.4	तडा	13.5874800	80.0347800
ग्रा.5	तडा कांद्रिगा	13.5953300	80.0292800
ग्रा.6	वटेमबेडु	13.6543700	80.0481400
ग्रा.7	कारिजथा	13.6831100	80.0657900
ग्रा.8	दवाडिगुंटा	13.6952700	80.0430100
ग्रा.9	केसीएन गुंटा	13.6965500	80.0465800
ग्रा.10	कुदिश	13.7071800	80.0704300
ग्रा.11	मन्नेमुटुरु हरिजन वाड़ा	13.7182100	80.0301300
ग्रा.12	अबाका	13.7499500	080.03.465
ग्रा.13	टोगारामुडी	13.7604500	80.0419000
ग्रा.14	श्रीधनमल्ली	13.7742700	80.0202200
ग्रा.15	कल्लूरु कांद्रिगा	13.8006000	80.0267200
ग्रा.16	कट्टूवपलै	13.8348500	80.0442500
ग्रा.17	कट्टूपले हरिजन वाड़ा	13.8346800	80.0499400
ग्रा.18	सिंगनलट्टूरु	13.8567800	80.0369300
ग्रा.19	येल्लुरु	13.9131500	80.1154300
ग्रा.20	पल्लमपार्थी	13.9231200	80.1229200
ग्रा.21	कोक्कूपलेम	13.9366400	80.1356000
ग्रा.22	दुग्गाराजपट्टनम	13.9803900	80.1560600
ग्रा.23	थुपिलिपलेम	14.0345000	80.1420100

[फा.सं. 25/48/2013-ईएसजेड-आरई] डा. जी.वी.सब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2014

S.O. 22(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Pulicat Lake is the second largest brackish water lagoon /wetland in India spread over Andhra Pradesh and Tamilnadu which attracts winter migratory birds and is an important feeding ground for a variety of

aquatic and terrestrial birds like Greater and Lesser Flamingoes, Painted Storks, Large and Little Egrets, Grey Pelicans, Grey Herons and Water birds such as Northern Pintails, Black winged Stilts, Northern Shovellers, Common Teal, Seagulls, Terns, Sandpipers, Plovers, Common Coots, Curlews, etc., and is famous for large number of migratory birds visiting during winter as the lake offers food and protection from predators.

And Whereas, the sanctuary extends to about 600 square kilometre in Andhra Pradesh covering five mandals of Tada, Sullurpet, Doravarisatram, Chittamur and Vakadu of Nellore District;

AND WHEREAS, the sanctuary area has some very significant patches of remnants of southern tropical dry ever green forests interspersed with mangrove forests, littoral vegetation and cane brakes on Sriharikota Island which is of considerable Botanical interest;

And Whereas, this sanctuary has the principal categories of fauna which inter-alia include Prawns, Lobsters, Crabs, Zoo planktons, Coelenterates, Annelids, Molluscs and Echinoderms among Invertebrates; Sable fish, Sargin Fish, White, Black and Silver Promphets among Fish (168 species of fish are recorded in Pulicat lake); Monitor lizard, Calotes, Cobra, Russel Viper and Krait among Reptiles; Wild Boar, Jungle Cat and Jackal among mammals and among Aves, the Principal bird species that visits Pulicat Lake is Greater Flamingo (About 30,000 Flamingoes visit Pulicat every year) and such other feeding migrants as Pelicans, Painted Storks, Open billed Storks, Grey herons, Cormorants, White Ibises, Spoonbills, Egrets, Reef Herons, Spot billed Ducks, Northern Shovellers, Northern Pintails, Sand Pipers, Gulls and River terns;

And Whereas, the greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) is five feet tall slim bird with white plumage with pink wash, bright coral red outer wing coverts, black feathers and an angled pink bill tipped black which wades in shallow marshy waters and are filter feeders and while feeding it swings head from side to side with bill below water with rhythmic movement of legs, filtering out small crustaceans and algae and visits Pulicat during October coming from Great Rann of Kutch, the breeding place and returns back during April and is listed as an endangered species requiring protection;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Pulicat Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of two kilometres from north to south all along the western boundary of the Pulicat Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh as an Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is two kilometres from north to south all along the western boundary of the Pulicat Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh.
- (2) The detailed description of boundaries of the Eco-sensitive Zone is appended to this notification as Annexure I.
- (3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended to this notification as Annexure II.
- (4) The list of twenty three villages falling outside the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary and falling within the Pulicat Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as **Annexure III**:

Provided that the list of villages as given in Annexure III shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest and Wildlife, Agriculture, Roads and Buildings, Revenue, Urban Development, Tourism, Rural Development, Municipal, Panchayti Raj, Irrigation and Public Works Department for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan.
- (3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.
- (4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, parks and open spaces earmarked for recreation purposes, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

- (5) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.
- (6) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities specified under column (2) of the Table specified in para 3.
- (7) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item number 18 relating to rainwater harvesting specified in column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (2 of 2007).

- (8) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.
- (9) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC;
- (iii) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.
- (10) The Environment Department or the State Forest Department of Andhra Pradesh shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).
- (11) The Environment Department or the State Forest Department of Andhra Pradesh shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- (12) The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).
- (13) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out
- (a) as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;
- (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (d) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.
- (14) The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.
 - 2. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone. All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitte d	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Coastal Aqua culture	Yes			No Aqua Culture either brackish water or fresh water aqua culture is permitted within the Eco-sensitive Zone.
2.	Industrial Units	Yes			 i. No establishment of new wood based industry within Eco-sensitive Zone. ii. No establishment of any new polluting or highly polluting industry within Eco-sensitive Zone.
3.	Construction Activities		Yes		i. From the boundary of Pulicat Bird Sanctuary up to a distance of 100 metre in the Ecosensitive Zone, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than 1000 Cubic inches. ii. The construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed in the Ecosensitive Zone area falling between 100 to 500 meters from the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary. iii. The laying of new high tension
4.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	_		transmission wires shall not be allowed from the boundary of Pulicat Bird Sanctuary to a distance of five hundred meters in the Eco-sensitive Zone. (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited.
5.	Felling of Trees		Yes		(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior

	,				permission of the competent
					authority in the State
	}		1		Government;
	• *	•	:	i ·	
					(b) the felling of trees shall
	1				be regulated in accordance
		•		ŀ	with the provisions of the
					concerned Central or State
	1			1	Act and the rules made
1		1			1
					thereunder.
6.	Extraction of water		Yes		i. Extraction of ground
	· ·		'		water shall be permitted
					only for the bonafied
1					
	·			1	agricultural and
	•			İ	domestic consumption
					of the occupier of the
					plot.
	<u> </u>				ii. All steps shall be taken
		-			
					to prevent
					contamination or
1 .					pollution of water
					including from
ł					agriculture.
	,				" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	G 1 C 1 4		77	<u></u>	7771.1
7.	Sale of ground water		Yes		With permission from
<u> </u>	·	·	·		appropriate authority
8.	Traditional fishing.	-		Yes	Permitted with restrictions
Į					and in accordance with the
	·				law prevailing in the State.
			·		
	·		<u> </u>		
9.	Fishing by trawlers in	Yes	-	_	
_	untraditional manner as a		4		•
	large scale commercial		· .		
	I . =				
	activity.				
10.	Discharge of untreated	Yes		,	
	effluents				
11.	Discharge of treated		Yes		They should meet provisions
1	effluents		100		of the water (Prevention &
	erridents				
					control of pollution) Act,
					1974.
12.	Solid waste		Yes		Carried out as per the
	4 2 2				provision of the Municipal
				٠.	Solid waste Management
1					Rules, 2000 published vide
1		,			number S.O. 908(E) dated
					25.09.2000.
13.	Setting of sawmills	Yes			
		100		-	
14.	Establishment of Hotels and		Yes		
1	Resorts				
15.	Commercial use of fire	Yes			For hotels and other business
13.	1	i es			
	wood				related establishments
16.	Establishment of major	Yes			
	hydro electric projects				
17.	Erection of electrical cables		Yes	444	Promote under- ground
'''	incomon of electrical causes		1 03		
ļ		<u> </u>			cabling
18.	Rain water harvesting	:		Yes	Should be actively promoted
19.	Organic farming			Yes	Should be actively promoted
		<u> </u>	<u></u>		
20.	Use of renewable energy			Yes	Should be actively promoted
	sources				

21.	Adoption of green technology for all activities			Yes	Should be actively promoted
22.	Use of polythene bags	Yes		1	
23.	Widening of roads		Yes		
24.	Movement of vehicular traffic at night		Yes		For commercial purpose.
25.	Introduction of exotic species		Yes		
26.	Use or production of any hazardous substances	Yes			
27.	Tourism activities like over flying the sanctuary by Air craft or hot air balloons	Yes			
28.	Protection of river banks		Yes		
29.	Signboards and hoardings		Yes		
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities through		~~	Yes	
	organic farming		· 		

- 4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Andhra Pradehs which shall comprise of:-
 - (i) Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh Chairman;
 - (ii) representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Bangalore-Member;
 - (iii) representative of the State Pollution Control Board-Member;
 - (iv) one representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh – Member;
 - (v) one representative of community based organization nominated by the State Government-Member;
 - (vi) five representatives of the Government of Andhra Pradesh from Departments of Rural Development, Agriculture, Urban Development and Housing, Tourism and panchayti Raj Public Works Department-Members;
 - (vii) one expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Andhra Pradesh -Member;
 - (viii) concerned District Collector-Member;
 - (ix) concerned Wildlife Warden Member; and
 - (x) Director, Department of Environment, Government of Andhra Pradesh- Member Secretary.
- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Ecosensitive Zone, except the prohibited activities specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Ecosensitive Zone, except the prohibited activities specified in column(3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist it in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
- 5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.

Annexure I

Detailed description of boundaries of the Eco-sensitive Zone

North: Eco-Sensitive Zone boundary of Pulicat Bird Sanctuary starts from 1 Km distance from north of

Valamedu Village and proceeds towards eastern direction for 2 Kms and joins at Bay of Bengal.

East: The boundary of the Pulicat Bird Sanctuary is the boundary of the Eco-sensitive Zone towards eastern side all along the shore line of Bay of Bengal upto inter-state boundary of Tamil Nadu and Andhra

Pradesh at 750m northern side of Pulinjerikuppam village.

South: The Eco-sensitive zone line starts at inter-state boundary of Andhra Pradesh and Tamil Nadu at 750m northern side of Pulinjerikuppam village and runs all along the Tamil Nadu State boundary towards

south and then runs towards west side and then runs northern side and ends at 200 meters western side

of Arambakkam village.

West: The Eco-sensitive Zone line starts from Tamil Nadu and Andhra Pradesh state boundary at a distance

of 200 mtrs western side of NH 5 near Karuru Village which is Station No.1 and the line runs along the western side of NH 5 at a distance of 200 mtrs and crosses NH 5 at Tada, Srikalahasthi Road

Junction and joins at station No.2 which is the Railway crossing of Chenigunta village, and runs

towards Northern direction touching vatembedu Village at Station No. 3, and then the line runs

towards northerly direction and touches at Station No.4 of Karijatha Villge, then the line runs western

side and touches Station No.5 of Ulasapadava Irrigation Tank, then the line runs towards northerly

direction and touches at Station No.6 at Konepalli Village, then the line runs towards northerly

direction touches at Station No.7 Sridhanamalli Village, then the line runs northerly direction touches

at Station No.8 near Aanegottam Village and then the line runs northern direction touches Station

No.9 at Pulathota Village, then the line runs northern direction touches at Station No.10 near Diguva

varattur and then the line proceeds and touches Station No.11 near Arur Village and then the line

proceeds towards North-East direction touches Station No.12 at Kogili Village and then the line


proceeds towards eastern direction and touches at station No.13 near Kokkupalem Village, then the

line runs towards northerly direction and touches at station No.14, then the line runs towards

northerly direction and touches at Station No.15 near Andalamala Village, then the line runs towards

North-East Direction and joins at Sea shore line of Bay of Bengal at Station No.16 near Valamedu

Village which is closed Station.



Annexure-III List of twenty-three villages falling outside the boundary of the Pulicat Wildlife Sanctuary and falling within the Pulicat Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points.

S.No.	Name of the Revenue Village	Latitude	Longitude
V1	Bheemunivari Palem kuppam	13.5461200	80.0723000
V2	Bheemuniyari Palem	13.5448200	80.0678900
V3	Pudi	13.5606700	80.0545200
V4	Tada	13.5874800	80.0347800
. V5	Tada Kandriga	13.5953300	80.0292800
V6	Vatambedu	13.6543700	80.0481400
V7	Karijatha.	13.6831100	80.0657900
V8	Davadigunta	13.6952700	80.0430100
V9	KCN Gunta	13.6965500	80.0465800
V10	Kudiri	13.7071800	80.0704300
V11	Mannemutturu harijana wada	13.7182100	80.0301300
V12	Abaka	13.7499500	080.03.465
V13	Togaramudi	13.7604500	80.0419000
V14	Sridhanamalli	13.7742700	80.0202200
V15	Kalluru Kandriga	13.8006000	80.0267200
V16	Kattuvapalle	13.8348500	80.0442500
V17	Kattuvapalle harijana wada	13.8346800	80.0499400
V18	Singanalatturu	13.8567800	80.0369300
V19	Yelluru	13.9131500	80.1154300
V20	Pallamparthi	13.9231200	80.1229200
V21	Kokkupalem	13.9366400	80.1356000
V22	Duggarajapatnam	13.9803900	80.1560600
V23	Thupilipalem	14.0345000	80.1420100

[F.No.25/48/2013-ESZ-RE] Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'